

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग


क्रमांक:पं010(1)चिस्वा/2/18/डी-308

जयपुर,दिनांक:

आदेश


डॉ0 अरुणा यादव, चिकित्सा अधिकारी, तत्कालीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिलेटा रैणी, अलवर हाल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोगून्दा, उदयपुर के परीवीक्षाकाल में स्वैच्छा से अनुपस्थित रहने पर पुनः कार्यग्रहण करने की तिथि 27.04.18 से पूर्व की समस्त सेवाओं को जब्त करते हुए उनके विरुद्ध सीसीए-17 में की जा रही प्रस्तावित कार्यवाही को निरस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आज्ञा से,


(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1- निदेशक (जन स्वा), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर।
- 2- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर/उदयपुर।
- 3- डॉ0 अरुणा यादव, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिलेटा रैणी, अलवर।
- 4- रक्षित पत्रावली।


(ओ0पी0 वर्मा)
सहायक शासन सचिव

राजस्थान – सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज0जयपुर।

क्रमांक: सीबी/सीएस/ए-348/2019/321

दिनांक: 16/5/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर/उदयपुर।
2. डॉ. अरूणा यादव, चि0अ0 प्रा0स्वा0केन्द्र, बिलेटा रेणी (अलवर) को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
3. अति0 प्रशासनिक अधिकारी, राजपत्रित संस्थापन अनुभाग, मुख्यालय को मय आपके अनुभाग की पत्रावली संख्या ए-944 मय नोटशीट संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि आदेश को आज ही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करे।
5. रक्षित पत्रावली।

अति0 निर्देशक(राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर